दिनांक-07.01.2016 को टोरी-शिवपुर रेलवे लाईन निर्माण के संबंध में उपायुक्त, लातेहार की अध्यक्षता में की गई समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति- पंजी के अनुसार।

उपायुक्त, लातेहार के द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों को स्वागत करते हुए एवं परिचय प्राप्ति के पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई :-

- जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, लातेहार के द्वारा बताया गया कि रेलवे विभाग द्वारा कुल 219.810 एकड़ रैयती भूमि का अर्जन हेतु अधियाचना उपलब्ध कराया गया है। प्राप्त अधियाचना के आलोक में धारा-19 (1) के अधीन अधिघोषणा की स्वीकृतोपरान्त अधिघोषणा का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र में करा दी गई है एवं जिला गजट में प्रकाशन की कार्रवाई की जा रही है। दिनांक-28.01.2016 तक धारा 22 के तहत अंतिम रूप से आपत्ति प्राप्त की जायेगी तथा एक सप्ताह में अवार्ड बनाने की कार्य पूर्ण कर ली जायेगी। भवन निर्माण विभाग के अभियंता के द्वारा बताया गया कि भवन के मूल्यांकन का कार्य दस दिनों के अन्दर पूर्ण कर ली जायेगी। रेलवे विभाग के उपस्थित प्रतिनिधि से अनुरोध किया गया कि वन प्रमण्डल पदाधिकारी एवं भवन निर्माण विभाग से समन्वय स्थापित कर कार्य को पूर्ण करावें। जाँच का लोकेशन तय कर संबंधित विभाग को सूचित करें ताकि लोकेशन के अनुसार संबंधित विभाग के अधिकारी/ कर्मचारी उपस्थित होकर कार्य को पूर्ण कर सके।
- रेलवे विभाग के द्वारा वन भूमि एवं गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी भूमि के संबंध में F.R.A के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत हेतु अनुरोध किया गया। अपर समाहर्त्ता, लातेहार के द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा 15.86 हे0 भूमि का अनापत्ति हेतु आवेदन दिया गया है। इनके आवेदन को जिला कल्याण पदाधिकारी, लातेहार को भेजते हुए अंचल अधिकारी, चन्दवा एवं बालूमाथ को F.R.A के तहत ग्राम सभा कराने हेतु निदेश दिया गया है। गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी भूमि 0.03 हे0 का संवैधानिक रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु अनुशंसा के साथ प्रस्ताव आयुक्त, पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर को भेज दिया गया है।
- रेलवे विभाग के प्रतिनिधि से अनुरोध किया गया कि भूमि अर्जन/ हस्तान्तरण से संबंधित अधियाचना एक बार में पूरी प्रकिया के साथ दिया जाय। अधियाचना बार-बार देने से कार्रवाई करने में कठिनाईया होती है एवं समय भी अधिक लगता है। रेलवे विभाग के द्वारा बताया गया कि रेलवे लाईन निर्माण कार्य में विधि-व्यवस्था की समस्या नहीं है।

सधन्यवाद बैठक कार्यवाही समाप्त की गई।

12/1/16

उपायुक्त, लातेहार।

ज्ञापांक...40.../रा0 दिनांक...15.../01/2016

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित विभाग के पदाधिकारी / प्रतिनिधि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सरकार के सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/सरकार के प्रधान सचिव, उद्योग विभाग,झारखण्ड राँची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

12/1/16

उपायुक्त, लातेहार।